गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
गौतम बुद्ध नगर

गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की पच्चीसवीं बैठक दिनाँकः 02, नवम्बर 2020 को अपराह्न 04:30 बजे कुलपति, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में अधोलिखित सदस्यगण उपस्थित हुएः

शिक्षा सोसाइटी द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य

1. **प्रो0 एन0 के0 तनेजा,** ..... सदस्य
   कुलपति,
   चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
   मेरठ।

2. **प्रो0 बीर सिंह,** ..... सदस्य
   प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग,
   चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
   मेरठ।

3. **प्रो0 अरूण भगत,** ..... सदस्य
   अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष
   मीडिया अध्ययन विभाग,
   महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
   पंडित दीनदयाल उपाध्याय परिसर
   मोतिहारी – 845401 (बिहार)
   एवं सदस्य बिहार लोक सेवा आयोग, पटना
   (ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित हुए)

विश्वविद्यालय के आचार्य/अधिष्ठाता/प्रभारी अधिष्ठातागण

4. **प्रो0 एन.पी मल्कानियॉ,** ..... सदस्य
   प्रोफेसर,
   अधिष्ठाता शैक्षिक,
   अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज एण्ड एप्लाईड साइंसेज,
   गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।

5. **प्रो0 सुरेन्द्र कुमार सिंह,** ..... सदस्य
   प्रोफेसर,
   अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ लॉ, जस्टिस एण्ड गवर्नेंस
   अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ बुद्धिष्ट स्टडीज एण्ड सिविलाईजेशन
   गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।

6. **प्रो0 श्वेता आनन्द,** ..... सदस्य
   प्रोफेसर,
   अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट,
   गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।

7. **डा0 नीती राणा,** ..... सदस्य
एसोशिएट प्रोफेसर
प्रभारी अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ ह्युमैनिटीज एण्ड सोशल साइंसेज,
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।

8. **डा0 सीमा द्विवेदी,** ..... सदस्य
एसोशिएट प्रोफेसर
प्रभारी अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ बायोटैक्नोलोजी
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।

(ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित हुई)

9. **डा0 मनमोहन सिंह सिसौदियॉ,** ..... सदस्य
इंचार्ज, छात्र कल्याण
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।

कुलाधिपति **द्वारा नामनिर्देशिती सदस्य**

10. **प्रो0 प्रदीप कुमार यादव** ..... सदस्य
प्रोफेसर,
अधिष्ठाता, शोध एवं नियोजन,
अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग,

11. **प्रो0 संजय कुमार शर्मा,** ..... सदस्य
प्रोफेसर,
अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ आई0सी0टी0,
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।

12. **प्रो0 वन्दना पाण्डेय,** ..... सदस्य
प्रोफेसर, स्कूल ऑफ ह्युमैनिटीज एण्ड सोशल साइंसेस,
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।

13. **श्री एस. एन. तिवारी,** ..... सचिव
कुलसचिव (स्थानापन्न),
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।

जो सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेः

14. **औद्योगिक विकास विभाग के प्रतिनिधि,** ..... सदस्य
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा नामनिर्देशिती **सदस्य;**

15 **प्रो0 मनोज कुलश्रेष्ठ** ..... सदस्य
प्रति कुलपति,
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय,
जिलाः दुर्ग (छत्तीसगढ़)

S Tiwari

:: कार्यवाही का विवरण ::

बोर्ड के मा0 सदस्यों के स्वागत के साथ प्रबन्ध बोर्ड की बैठक आरम्भ हुई।

25.20.01 **प्रबन्ध बोर्ड की चौबीसवीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।**

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की दिनाँक 18 दिसम्बर, 2019 को सम्पन्न हुई चौबीसवीं बैठक के कार्यवृत्त को बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

25.20.02 **प्रबन्ध बोर्ड की चौबीसवीं बैठक के कार्यवृत्त पर कृत कार्यवाही का विवरण।**

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की दिनाँक 18 दिसम्बर, 2019 को सम्पन्न हुई चौबीसवीं बैठक के कार्यवृत्त पर कृत कार्यवाही के विवरण को बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा संज्ञान में लिया गया एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।

25.20.03 **विद्या परिषद् की 18वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।**

विद्या परिषद् की दिनाँक 14 अगस्त, 2020 को सम्पन्न हुई अठारहवीं बैठक के कार्यवृत्त को बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

25.20.04 **वित्त समिति की 21वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।**

वित्त समिति की दिनाँक 22 जनवरी, 2020 को सम्पन्न हुई इक्कीसवीं बैठक के कार्यवृत्त को बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

25.20.05 **गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन हेतु वित्तीयन के समुचित प्राविधान का निर्वहन किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन।**

बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त निम्न दिशा-निर्देशों को संज्ञानित एवं अनुमोदित किया गयाः-

1. गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय को Centre of Excellence के रूप में वर्तमान में लागू अधिनियम के अन्तर्गत ही इस प्रकार संचालित किया जाये कि यह विश्वविद्यालय Buddhism तथा भारतीय संस्कृति से सम्बन्धित शोध/प्रशिक्षण/ स्टडी टूअर आयोजित कर इस क्षेत्र में भारत वर्ष का सबसे उत्कृष्ट केन्द्र बने।

2. साथ ही NCR क्षेत्र में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं यथा-इलेक्ट्रानिक सिटी, फिल्म सिटी, जेवर एयरपोर्ट के फलस्वरूप होने वाले Urbanisation से सम्बन्धित स्किल डेवलपमेंट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर ऐसी विकास योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में योगदान दे।

3. गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय को इस प्रकार से संचालित किया जाये कि उपरोक्तानुसार गतिविधियों को बढ़ाकर यह संस्था वित्तीय रूप से

Tiwari

25.20.08 **विशेषज्ञों की सूची का अनुमोदन।**

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में शैक्षिक पदों के साक्षात्कार एवं शोधार्थियों के शोध निबन्ध के मुल्यांकन आदि कार्यो हेतु (1) स्कूल ऑफ ह्युमैनिटीज एण्ड सोशल साइंसेस के पोलिटिकल साइंस एण्ड इंटरनेशनल रिलेशन विभाग (2) स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज एण्ड एप्लाइड साइंसेस के इन्वार्यनमेंटल साइंस, एप्लाइड केमिस्ट्री, एप्लाइड फिजिक्स, एप्लाइड मैथमेटिक्स एवं फूड प्रोससिंग एण्ड टैक्नोलॉजी विभागों के विषय-विशेषज्ञों की प्रस्तुत की गई सूची को पूर्व में अनुमोदित सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

25.20.09 **नवीन विभागों के गठन का अनुमोदन।**

बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए विश्वविद्यालय में निम्नानुसार नवीन विभागों के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई।

University School of Information & Communication Technology:

1. Department of Artificial Intelligence and 4IR Technologies.
2. Centre of Excellence for Advance Electronics.

University School of Humanities & Social Sciences:

1. Department of Integrated Rural Development.
2. Department of Social Entrepreneurship.

25.20.10 **प्रोफेसर एडजंक्ट को नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव।**

स्कूल आफ आई.सी.टी. के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2020-21 से B.Tech (Artificial Intelligence) and M.Tech (Computer Science and Engineering) specialization with data science पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने तथा इन पाठ्यक्रमों के लिए IoT , Machine Learning, Cloud Computing, Embedded Systems and Deep Learning etc. की प्रयोगशालाएँ विकसित किये जाने हेतु, इन पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित प्रख्यात विशेषज्ञ Prof. Anand Nayyar, Duy Tan University, Danang, Vietnam, को विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एडजंक्ट के पद पर सेवाऐं देने हेतु, प्रो0 आनन्द के प्रस्तुत संक्षिप्त बायोडाटा को बोर्ड के सदस्यों के द्वारा अवलोकित किया गया तथा विश्वविद्यालय अध्यादेश की धारा 3.5 में की गई व्यवस्था के अन्तर्गत Prof. Anand Nayyar को स्कूल आफ आई0सी0टी0 में प्रोफेसर एडजंक्ट के पद पर निम्न सेवा-शर्तो के अनुसार नियुक्त करने हेतु बोर्ड के मा0 सदस्यों के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

1. Prof. Anand has to stay full time in the University campus at least 15 days in a semester (30 days per year) or as and when required. He would be teaching as per the needs of the school and shall also be available for online teaching/workshops from abroad as well, on the terms and honorarium as admissible for visiting faculty with mutual consent.
2. The honorarium for the said period will be Rs. 80,000 per year (40,000 per semester)

3. He will be given to & fro airfare and local convenience twice in a year, from Vietnam to Gautam Buddha University, Greater Noida India as actual.

4. Free accommodation will be provided by the University for the period of his stay in the University campus.

5. He will be in touch with the concerned faculty and research scholar via Internet/ Video conferencing throughut the year to discuss and mentor.

6. He may be allowed to be work as a co-supervisor for Ph.D students in the School.

7. This is expected that, he will help in the development of laboratories, making R&D projects MoUs with other Universities & Industries, and to enchance the overall academic ambiance.

The above terms and conditions may be reviewed annually.

25.20.11 आमेलन हेतु नियमावली का अनुमोदन।

बोर्ड के मा0 सदस्यों के द्वारा विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों के आमेलन को और अधिक सुगम एवं व्यवस्थित किए जाने हेतु निम्नानुसार नियमावली को अनुमोदित किया गया:-

Absorption in Gautam Buddha University

1. An employee working in any Autonomous Institution or University or similar organization established by the Government or Government employee, may be permitted to be absorbed in the service of the Gautam Buddha University provided he/she is on deputation in the University, if-

   Person working on deputation in the Gautam Buddha University applies to the Vice-chancellor for his/her absorption in the University before the expiry of three years from the date of commencement of his/her deputation and atleast after six months of commencement of deputation period but before the date on which he/she attains the age of 57 years and It is ascertained and recorded by the Vice-chancellor that absorption is in the interest of the University then Vice-chancellor may accept the same being Chairman/Chairperson of the BoM, same may be put for ratification in the forthcoming BoM provided concerned employee has obtained the No-objection-certificate / ascent of the parental organization and same has been considered by the Vice-chancellor and the process of absorption is complete

2. The University shall not agree to absorption of any employee belonging to Group D.

3. Requird the original copy of Annual Confidential Reports/Performance Appraisal Reports (ACR/PAR) for the last preceding five year from parent department (If ACR/PAR is not available, reasons for non-availability should be duly certified)

4. Such absorption shall not be accepted with effect from any date prior to the date on which the University first expresses its agreement to absorb the employee in the services of the University.

5. **Effect of absorption**- An employee whose absorption in the University is accepted by the Vice-Chancellor shall, not withstanding anything contained in retirement rules / relevant rules of the parental Organization of the absorbed employee, be deemed to have retired from Parental Organizations' services with effect from the date of his/her absorption and his/her lien in his/her parent department shall stand terminated from the date of absorption.

6. **Retirement Benefits** – Absorbed employee deemed to have retired under the rule shall be entitled to proportionate pension / retirement benefits, on the basis of his/her parental service from his/her parental organization and the payment where of shall start immediately.

7. **Pay Fixation** - Unless his/her pay in the pay scale/matrix of the post on which he/she is to be absorbed is fixed at the stage arrived at by adding the deputation allowance to the pay admissible to him/her in the pay scale of his/her post in parent department, treating it as his/her basic pay, provided that:-

   (i) If there is one such stage in the pay scale/matrix of the undertaking. His/her pay is fixed

S.N.Tiwari

at the stage next below and the difference is granted as personal pay, liable to be absorbed in future increments.

(ii) If the aggregate of the pay admissible in the pay scale of parent department and the deputation allowance falls short of the minimum in the pay scale of the undertaking his/her pay is fixed at such minimum and if such aggregate exceeds the minimum of the pay scale of the undertaking, his/her pay is fixed at such maximum and the difference is granted as personal pay.

25.20.12 डा0 इंदू उप्रेती, एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल आफ मैनेजमेंट के विरूद्ध चल रही विभागीय जाँच समिति की आख्या से प्रबन्ध बोर्ड को अवगत कराने एवं उचित निर्णय हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

डा0 इंदू उप्रेती, एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल आफ मैनेजमेंट के विरूद्ध डा0 संध्या तरार एवं डा0 अरूण सोलंकी द्वारा 5–5 लाख रूपये की रिश्वत की मांग के लगाये गये आरोपों पर चल रही विभागीय जाँच में तथ्यान्वेषण समिति द्वारा उन पर लगे आरोपों को सत्य ठहराये जाने पर प्रोफेसर वन्दना पाण्डे, विभागाध्यक्ष, जन संचार एवं जो पूर्व में गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार में अधिष्ठाता रहीं हैं (जो इस चर्चा एवं इस मद पर अभिमत देने से विरत रही) की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति द्वारा भी डा0 उप्रेती के ऊपर लगे आरोपों को सत्य पाया गया। रिपोर्ट का विवरण इस प्रकार हैः–

6.0 FINDINGS:

In the light of the analysis and assessment of evidences set forth above, status of charges leveled against Dr. Indu Uprety, Associate Professor, School of management, Gautam Buddha Universiy is as under:

i) Article – 1 : **PROVED**

प्रोफेसर वन्दना पाण्डे द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन को बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि डा0 इंदू उप्रेती, एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल आफ मैनेजमेंट को उनके इस कृत्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की दण्डिक नियमावली के अन्तर्गत "नई नियमावली 1999 के नियम 3 शास्तियाँ (दण्ड)" में वर्णित दीर्घ शास्तियाँ में "तीन" पर अंकित दीर्घ शास्तिः–

"सेवा से हटाना (Removal) जो भविष्य में नियोजन (Employment) के लिए निरर्हित (Disqualify) न करता हो।"

के अनुसार सेवा से हटाने का निर्णय लिया गया तथा जाँच समितियों के द्वारा की गई संस्तुतियों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाने का निर्णय लिया गया।

Tiwari

25.20.13 **डा0 शबाना उर्ज एवं डा0 मीना सिंह के बारे में अद्यतन आख्या से प्रबन्ध बोर्ड को अवगत कराना।**

1. **डा0 शबाना उर्ज, असिस्टेंट प्रोफेसर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा दो स्थानो पर नौकरी के प्रकरणः** डा0 शबाना उर्ज द्वारा सऊदी अरब की Princess Nora University, Riyadh में अनुसंधान हेतु विश्वविद्यालय से 10 माह (दिनाँक 01.09.2019 से 30.06.2020 तक) का अध्ययन अवकाश (sabbatical leave) स्वीकृत कराये जाने व अध्ययन अवकाश में ही बिना विश्वविद्यालय की अनुमति लिए वहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर का पद ग्रहण करने, अवकाश उपरान्त विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उनसे आवश्यक प्रपत्र जमा किये जाने हेतु कहे जाने पर स्थानापन्न कुलसचिव के ऊपर यौन उत्पीड़न की शिकायत के सम्बन्ध में व यौन शोषण के इस आरोप की जाँच विश्वविद्यालय की आन्तरिक शिकायत समिति के सुपुर्द कर दिये जाने की सूचना से बोर्ड के मा0 सदस्य अवगत हुए।

2. **डा0 मीना सिंह, मा0 कुलपति की स्टॉफ ऑफिसर का निलम्बनः** डा0 मीना सिंह की चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से प्राप्त पी.एच.डी. की डिग्री के सत्यापन कराने व उसके सम्बन्ध में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा लिखित प्रत्युत्तर में बताना कि वह पी.एच.डी. की डिग्री' चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा कभी निर्गत ही नही की गई है।

   चर्चा के दौरान इस सम्बन्ध में बोर्ड को क्रमवार अवगत कराया गया किः-

   - डा0 मीना सिंह के द्वारा 2010 में विश्वविद्यालय को यह अवगत कराया गया कि वह जौनपुर विश्वविद्यालय से पी.एच.डी कर रही है एवं नियुक्ति के बाद 2011 में उन्होने बताया कि उनके पास 2009 से ही पी.एच.डी की डिग्री है।
   - दिनाँक 21 दिसम्बर, 2011 को इनके द्वारा दिनाँक 27-28 दिसम्बर, 2011 को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने हेतु अनुमति मांगी गई थी। उक्त सम्मेलन में केवल Students/Research Scholars, Fautly Members or Foreign Delegates ही प्रतिभाग कर सकते थे।
   - डा0 मीना सिंह के द्वारा अपनी अधिकांश वार्षिक मूल्यांकन आख्याओं में अपनी शैक्षिक योग्यताओं के विवरण में पी.एच.डी डिग्री का उल्लेख किया है।
   - इनके द्वारा अपने कक्ष के बाहर के नामपटल पर भी डा0 मीना सिंह लिखवाया गया है।
   - 2018 में डा0 मीना सिंह के मा0 कुलपति महोदय की निजी सचिव से मा0 कुलपति के स्टॉफ आफिसर के पद पर विभागीय पदोन्नति हेतु गठित तीन सदस्यीय समिति (जो कि तत्कालीन कार्यवाहक कुलपति महोदय द्वारा गठित की गई थी) ने भी पदोन्नति की प्रक्रिया में इनके मूल प्रमाण पत्रो को नही देखा ऐसा प्रतीत होता है। इनके मूल प्रमाण पत्रों को आज तक जारीकर्ता संस्था से सत्यापन भी नही कराया गया है। विभागीय पदोन्नति हेतु गठित समिति के द्वारा समग्र मूल्यांकन हेतु

इनकी पी.एच.डी की डिग्री का उल्लेख किया गया है।

- इस सम्पूर्ण प्रकरण की जाँच कर, विश्वविद्यालय द्वारा डा0 मीना सिंह को कार्यालय आदेश संख्या GBU/Admn/0085/2020/2994 दिनाँक 18 अगस्त, 2020 से निलम्बित कर दिया गया है।

- इनकी पी.एच.डी. की डिग्री नकली होने के कारण थाना ईकोटैक प्रथम में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु भी निवेदन किया गया है।

- 18 अगस्त, 2020 को किये निलम्बन के उपरान्त स्टॉफ ऑफिसर द्वारा स्थानापन्न कुलसचिव पर यौन शोषण का आरोप लगाये जाने तथा यौन शोषण के इस आरोप की जाँच विश्वविद्यालय की आन्तरिक शिकायत समिति के सुपुर्द कर दिये जाने।

- स्थानापन्न कुलसचिव द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 18/2020 के अन्तर्गत धारा 156(3) सी.आर.पी.सी. के द्वारा न्यायालय से प्राथमिकी दर्ज कर नियमानुसार विवेचना कराये जाने हेतु अनुरोध किया है जो कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) गौतम बुद्ध नगर में विचाराधीन है।

- निलम्बन के उपरान्त दिनाँक 19 अगस्त, 2020 को चिकित्सा अवकाश हेतु इनके द्वारा जो आवेदन किया गया है उसमे भी इनके द्वारा अपने नाम के सम्मुख डा0 अंकित किया गया है।

उपरोक्त समस्त सूचनाओं से बोर्ड के मा0 सदस्य अवगत हुये।

25.20.14 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को 10 करोड़ की परियोजना स्वीकृत हुई है। प्रबन्ध बोर्ड के सूचनार्थ।

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को ₹20 करोड़ की परियोजना की स्वीकृत तथा स्वीकृत की गई ₹20 करोड़ में से वर्तमान में ₹10 करोड़ शासन से अवमुक्त होने की सूचना से बोर्ड अवगत हुआ। साथ ही इस परियोजना से विश्वविद्यालय को क्या-क्या लाभ होंगे व विश्वविद्यालय द्वारा क्या-क्या कार्य किये जायेंगे इससे भी बोर्ड के मा0 सदस्य अवगत हुये।

25.20.15 डा0 मंजू शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज एण्ड एप्लाइड साइंसेस को राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिनाँक 15 अक्टूबर, 2020 से 14 अक्टूबर, 2026 तक विशेष अवकाश स्वीकृत किये जाने सम्बन्ध में सूचना।

डा0 मंजू शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज एण्ड एप्लाइड साइंसेस का चयन राजस्थान के महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 316(1) के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सदस्य राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पद पर किए जाने व इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें 6 वर्ष का विशेष अवकाश स्वीकृत किया गया है

के निर्णय से बोर्ड के मा0 सदस्य अवगत हुए।

बैठक की कार्य-सूची के मद का विवरण में 14 अक्टूबर, 2020 तक लिपिकीय त्रुटिवश अंकित हो गया था। इस हेतु बोर्ड के मा0 सदस्यों को बैठक में यथासमय अवगत करा दिया गया एवं लिपिकीय त्रुटि का सुधार भी कर दिया गया।

25.20.16 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य विषय पर विचार।

25.20.16 (1) श्री सतीश नारायण तिवारी, उप कुलसचिव को विश्वविद्यालय में कुलसचिव की नियमित नियुक्ति होने तक कुलसचिव (स्थानापन्न) का पदभार दिये जाने की सूचना से बोर्ड को अवगत कराना।

बोर्ड के मा0 सदस्य को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के अधिनियम के अन्तर्गत कुलसचिव की नियुक्ति का अधिकार प्रबन्ध बोर्ड को होने से पूर्व कुलसचिव श्री बच्चू सिंह, पी.सी.एस. संवर्ग (जिन्हे शासन द्वारा नियुक्त किया गया था) की नियुक्ति को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा Quo warranto रिट (याचिका सं0-सी-40425/2018 के. रघुपति बनाम श्री बच्चू सिंह) के अन्तर्गत अधिनियम के विपरीत ठहराया गया। न्यायालय के आदेश के क्रम में तत्कालीन कुलसचिव को दिनाँक 12 मार्च, 2020 को पदमुक्त कर दिया गया। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगे जाने हेतु पत्रांक संख्या जी.बी.यू.-001/वी.सी./जी.ओ./01/2020- 3046(i-ii) दिनाँक 12 मार्च, 2020 प्रेषित किया गया था। जिसके प्रत्युतर में राज्य शासन द्वारा पत्रांक संख्या 1296/77-4-20-31एन/20 दिनाँक 1 जून, 2020 माध्यम से कुलपति को कुलसचिव की नियुक्ति प्रबन्ध बोर्ड के माध्यम से करने के स्पष्ट निर्देश दिये गये।

विश्वविद्यालय में कुलसचिव की नियमित नियुक्ति होने तक विश्वविद्यालय के कार्य बाधित न हो इसलिए कुलसचिव के पद के नैतिक दायित्वों के निर्वहन हेतु श्री एस.एन. तिवारी, उप कुलसचिव को कुलसचिव (स्थानापन्न) का पदभार दिया गया है।

बोर्ड के मा0 सदस्य प्रस्ताव से अवगत हुए एवं अनुमोदन प्रदान किया।

25.20.16 (2) श्री सतीश नारायण तिवारी, उप कुलसचिव की सेवाओं को विश्वविद्यालय में आमेलित किए जाने के सम्बन्ध में प्रबन्ध बोर्ड को अवगत कराना।

श्री सतीश नारायण तिवारी, जोकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में सहायक कुलसचिव के पद पर कार्यरत थे तथा श्री तिवारी का चयन विश्वविद्यालय में उप कुलसचिव के पद पर (प्रतिनियुक्ति पर) हो जाने के

Tiwari

उपरान्त इनके द्वारा दिनाँक 16 अप्रैल, 2019 को कार्यभार ग्रहण किया गया।

दिनाँक 30 अप्रैल, 2020 को श्री तिवारी द्वारा विश्वविद्यालय में अपनी सेवाओं को आमेलित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा इनके पैतृक विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से आमेलन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर दिनाँक 31 अगस्त, 2020 (अपराह्न) को मा0 कुलपति महोदय द्वारा श्री तिवारी का आमेलन अनुमोदित किया गया।

बोर्ड के मा0 सदस्यों के संज्ञान में लाया गया कि विश्वविद्यालय में स्थायी कुलसचिव, उप कुलसचिव व सहायक कुलसचिव का अभाव है एवं श्री तिवारी के आमेलन से उन्हें दिये जा रहे प्रतिनियुक्ति भत्ते, पेन्शन योगदान राशि और लीव सैलेरी काण्ट्रीब्यूशन राशि आदि से विश्वविद्यालय को प्रति वर्ष लगभग रू0 2 लाख से अधिक की वार्षिक बचत होगी।

बोर्ड के मा0 सदस्य प्रस्ताव से अवगत हुये एवं श्री सतीश नारायण तिवारी के आमेलन को अनुमोदन प्रदान किया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

STiwari

(सतीश नारायण तिवारी)
सचिव, प्रबन्ध बोर्ड
एवं
कुलसचिव (स्थानापन्न)
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय

(प्रो0 भगवती प्रकाश शर्मा)
अध्यक्ष, प्रबन्ध बोर्ड
एवं
कुलपति
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय